शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 242.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क' पर्ती) नियम 1984, जहां तक वे सांख्यिकीविद् और एक्सटेशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) के पदों के संबंध में हैं का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपित एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में सांख्यिकीविद् और एक्सटेंशन आफिस (भूकंप विज्ञान) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों को पूर्वीत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'क' सांख्यिकीविद् और एक्सटेशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना. ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमार —पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुस्त होंगे।
- 4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 5. निरहंता .— जिसने,
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

बह उक्त पद पर नियुक्ति का यात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शिक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध की शिथिल कर सकती है।
- व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणों के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

THE REST PERSON	· 阿尔尔莱克 Section of the section of t		अनुसूची		
पद का त्रीम	, पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5 ·	6
1. सांख्यिकीविव	(2005) *कार्यभार के आधार पर पदों को संख्या में अंतर आ	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर- अनुसचिवीय	रु. 10000-325- 15,200	(1812) artista	्राप ्तर्श

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 23, 2005/SRAVANA 1, 1927 880 परिवीक्षा की अवधि, क्या सीधी भर्ती से आने वाले सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक सीधी भर्ती के लिए यदि कोई हो व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु अर्हताएं आयु सीमा एवं अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी 10 9 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं यदि भर्ती, प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्निति या भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत 12 प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :--प्रतिनियुक्ति (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000—13500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों :
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित या वाणिज्य या अर्थशास्त्र में (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष

PART II-SEC. 3(

(ii) सांख्यिकीय आँकड़ों के संकलन, विश्लेशन और निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संव लोक सेवा आयोग यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है से परामर्श किया जाएगा 13 पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लागू नहीं आवश्यक है।

Committee Commit

881 भारत का राजपत्र : जुलाई 23, 2005/श्रावण 1, 1927 िभाग II--खण्ड 3(i)] 2 अधिकतम 35 वर्ष सामान्य केन्द्रीय ₹. 8.000-275-प्रवरण 01*(2005) 2. एक्सटेंशन नोट 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या सेवा वर्ग 'क' 13,500 *कार्यभार के ऑफिसर आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के राजपत्रित, गैर-(भूकंप विज्ञापन) आधार पर लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। अनुसचिवीय पदों की संख्या नोट 2 : आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि में अंतर आ भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार सकता है। करने की अंतिम तिथि होगी परन्त असम. मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म और कश्मीर राज्य के लददाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, के चंबा लाहौल और स्पीति जिले के पांगी सब डिवीजन. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि इससे अलग होगी। 10 9

सीधी भर्ती से नियुक्त होने लागू नहीं अनिवार्य : नहीं वाले और प्रोन्नति द्वारा (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से भौतिक शास्त्र तैनात होने वाले अधि-या गणित या भूभौतिकी या सांख्यिकी में भास्टर डिग्री कारियों के लिए एक वर्ष (ii) भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव नोट 1 : उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने पर संब लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। नोट 2: यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदीं को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

12

प्रोन्नित द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा। इन दोनों स्थितियों के अभाव में सीथी भर्ती द्वारा।

पोन्ति:

ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित वरिष्ठ तकनीकी सहायक

नोट 1 : संशोधित नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को फीडर पद पर नियमित रूप से नियुक्त लोगों के लिए सात वर्षों की अईता सेवा बनी रहेगी।

नोंट 2 : जहां कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित योग्यता या अर्हता सेवा पूरी करने के कारण प्रोन्नत्ति के लिए उनके नामों पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया जाएगा परंतु शर्त यह है उनकी अईता सेवा निर्धारित योग्यता या अईता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेड में प्रोम्नति की अर्हता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में ग्रीनिति के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी की हो।

1

प्रतिनियुक्ति: 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :--

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6,500—10,500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या

(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) कालम ৪ के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:

नोट: -विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नित के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सिहत प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13		14	2.1
वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचा 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	र करने के लिए) —अध्यक्ष	पद भरने या इन भर्ती नियमों के या शिथिल करने के लिए संघ	किसी प्रावधान को संशोधित लोक सेवा आयोग से
2. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय 3. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय	—सदस्य —सदस्य	परामर्श आवश्यक है।	के पार का सम्बद्ध पर पर
वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (स्थायीकरण पर वि 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय 2. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय	त्रचार करने के लिए) —अध्यक्ष —सदस्य	en frank demokraterikoa 1 meta - Boorden i 1 mir 2 maren - Boorden Boorden	क्ष कर पुरेत हों। या देह पर पा संशवस्त्र पर प्रश

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/9/2003] राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1983, and North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' Recruitment) Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of Statistician and Extension Officer (Seismology) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Statistician and Extension Officer (Seismology) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—

- Short title and commencement:—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A'- Statistician and Extension Officer (Seismology) Post Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number, of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—

1, 51-4- Walk 19-3. C

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of	Classification	Scale of pay	Whether	Whether benefit of
	post ai	The state of the second of the second of		Selection or	added years of service
PARTITION OF A	is married.	Will state and		Non-selection	admissible under Rule 30 of the Central
in the state of the	an gai (c)	A SHELL MANUAL PROPERTY.	The Charles party	post	Civil Service (Pension)
	grozoto s 6		4.35	*	Rules, 1972
1	2	3	4	- 5	. 6
1. Statistician	01*(2005)	General Central	Rs. 10,000-325-	Not applicable	Not applicable
	*Subject to	Service,	15,200	• d	
	variation	Group 'A',			
	dependent	Gazetted,	The state of the		
	on work-	Non-			
	load.	Ministerial	tar maktiling va		Mary Commission
					on the diffe of anti-harbon
Age limit for di	rect technits	Educational qualifi	cation	Whether age a	nd Period of
Age initiation di	Losary for filling	required for direct		educational qua	
	noisex eio n with the	562		- fications presc	ribed if any
	der lesenduresse indi-			for direct recru	its
*		(Intercinc)		will apply in th	ie
	*			case of promot	N. W
7	0	8 8		9	10
Not applic	able.	Not applicable		Not applicable	Not applicable
	upto 5 years or		TV-14.		
	nitment whether by	In case of recr	mitment by promot	ion or deputation o	r absorption, grades from
	by prometion or by			or absorption to be	
deputation or a			_		
	the posts to be filled	*			
by various me	thods logs to lgio	4			
	The except there		12		
	tion those in	Deputatio	n		
berij letim	a, Arunacha	•		C	tota Comarmonto or Unio
Deputation asl	Maniput, Naga	1. Officers Territories	Secretaria de la companya del companya del companya de la companya	Government or S	tate Governments or Unio
	ene, Latini			post on regular b	asis in the parent cadre
				- in the second	
'y= p .	- L Rango Sub-	d	epartment; or		
';≠ e. ≀ib	and the second s			rvice in the grade	rendered after annointme
ib od:	due com s	(ii) v	with five years' ser	rvice in the grade	rendered after appointme s in the scale of pay

12

- (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Master's degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or commerce or Economics (with Statistics) of a recognised University or equivalent.
 - (ii) Five year's experience in compilation, analysis and interpretation of statistical data.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Lakshadweep.

If a Departmental P composition	romotion Com	mittee exists, what	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
	13		A 15	14		
Not applicable			olnys (1.4)	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.		
<u> </u>	2	3	4 3 4	5	6	
2. Extension Officer (Seismology)	01* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 8,000-275- 13,500.	Selection	Note 1: Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determin ing the age-limit shall be the closing date for receipt of applications fro candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripur Sikkim, Ladakh Division of Jammu at Kashmir State, Lahaul and Spit district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh	

7		8	9	10
No .	(i)	Essential: Master's Degree in Physics or Mathematics or Geophysics or Statistics from a recognised University of equivalent:	Not applicable	One year for . direct recruits and promotees.
*	(ii)	Three year's experience in the field of Seismology.		the same to the same of the same of
	Note 1:	Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	with a plant of the same of the	
	Note 2:	The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled	en i activis el francis El	of our man and particle sets
		Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the posts reserved for them.	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	and control of the co

Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

12

Senior Technical Assistant with eight years' regular service in the grade.

Note 1: The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Promotion:

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13 , 14480	14		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Chairman or Member, UPSC 2. Secretary, Noth Eastern Council Secretariat 3. Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat	—Chairman —Member —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):			
1. Secretary, Noth Eastern Council Secretariat	—Chairman		
Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat	—Member	som regions as excellent discultive	

[F.No. NEC/ADM/9/2003] RAJEEV MATHUR, Dv. Secy.

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 243.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सिचवालय, शिलांग, अनुसंधान अधिकारी (योजना) भर्ती नियम, 1985 और पूर्वोत्तर परिषद् सिचवालय, शिलांग (वर्ग "ख" पद) भर्ती नियम, 1986 जहां तक वे सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थिगत बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सिचवालय, शिलांग में अनुसंधान अधिकारी (योजना) और सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, अनुसंधान अधिकारी (योजना) (वर्ग ''क'') और सहायक अनुसंधान अधिकारी (वर्ग ''ख'') पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.-ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 4. १ र्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—डक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - 5. निरर्हता .-- जिसने
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,.

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शिक्त .—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपवंध को शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूंव सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदकानामः	पदों की संख्या	वर्गीकरण-	वेतनमान :	प्रवरण पद था गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	17-18- 3 17-18-17-17	4	5	6
1. अनुसंधान अधिकारी (योजना)	02* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	চ, 8000-275- 13500	- लागू नहीं	लागू नहीं
	सकता है।			andle 6 mag	- 1 TO 1 T
सीधी भर्ती के		सीधे भर्ती के लि अर्हताएं		क्या सीधी भर्ती से आने व्यक्तियों के लिए निर्धारित एवं अईताएं प्रोन्नत व्यक्ति मामले में लागू होंगी	आयु यदि कोई हो
सीधी भर्ती के	सकता है।	400		व्यक्तियों के लिए निर्धारित एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति	आयु यदि कोई हो

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्तित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा

77

12

प्रतिनियुक्ति

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :-

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(জ) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से आपरेशन रिसर्च या गणित या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिष्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष
- (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन में तीन वर्ष का अनुभव

II. चयन के लिए विभागतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय सहायक अनुसंधान अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नित द्वारा भरा समझा जाएगा।

नोट: जिन मामलों में अईता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर भी विचार होगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अईता सेवा, निर्धारित योग्यता या अईता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेंड में प्रोन्नित की अईता पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेंड में प्रोन्नित के लिए सफलतापूर्वक परिवीक्षा अविध पूरी की हो।

(विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नित के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निः संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यतः 3 (तीन वर्ष) से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

ादि कोई विभाग	दि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है				किन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
	13	all of the field from	***		14 (1500)		
7	तागू नहीं		V 2	पद भरने तथा भर्त या शिथिल करने परामर्श आवश्यक	ों नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित ने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से होगा।		
b estimate 1975		ir og eninemplyst		, pri sta			
	2	3	4	5	6		
2. सहायक अनुसंधान अधिकारी	02* (2005) *कार्यभार के आधार पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख ' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	হ. 6500-200- 10500	लागू नहीं	लागू नहीं		
ST	पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	ગ્રન્ઝનુસાયગાય		ng Lit older gillig Lit	ar grade		
-	7	8		9	10		
	लागू नहीं	लागू न	हीं .	लागू नहीं	लागू नहीं		

12

सीधी भर्ती या आमेलन

प्रतिनियुक्ति या आमेलन

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :--

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
- (জ) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष।
 - (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन में तीन वर्ष का अनुभव। [केन्द्र सरकार के उसी संगठन या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि: संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: 3 (तीन वर्ष) से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम् तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

13

लागू नहीं

14

पद भरने तथा इन भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

> [फा. सं. एनईसी/एडीएम/9/2003] राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

- G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Research Officer (Planning) Recruitment Rules, 1985 and North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Assistant Research Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer (Planning) and Assistant Research Officer in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Research Officer (Planning) (Group 'A') and Assistant Research Officer (Group 'B') posts Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of oost	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
I. Research Officer (Planning)	02* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 8000-275- 13500	Not applicable	Not applicable
Age limit for dire	ect recruits	Educational qualif required for direct		Whether age as educational quasion prescrib for direct recruivill apply in the of promotees	alifi- probation, bed if any its
7	A.	8		gr 9	10
Not applica	able	Not applicable	20 at 20	Not applicable	Two years for Promotees
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-2-140-11	
direct recruit or deputation/abso	the posts to be filled	which promo	otion/deputation/a	bsorption to be made	sorption, grades from de
Althorn Was	11 =			12 - Airest II - Herring Fell	
Deputation	rien (%) rien (%) rien (%) rien (militar while) rien (militar while)	Territo (a) (i)	holding analogou Department; or	s posts on regular	State Government or Un basis in the parent cadre e rendered after appointment the scale of pay of Rs. 650

10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and

- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.
 - (ii) Three years' experience in collection compilation, analysis and interpretation of statistical data.
- 2. The Departmental Assistant Research Officer with five years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filed by promotion.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their promotion period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental composition		mittee exists, what is it	s	Circumstance Service Comm making recruitr	s in which Union Public ission is to be consulted in nent
	13			14	#.E _ T
Not applicabl	e	en Maio estado		Consultation with Un Commission necessar and for amendment or provision of these Rec	ry for filling up of post
		g kody or oce	- 1	Distriction Ass	
	2	3	4	5	6
2. Assistant Research Officer	02*(2005) *Subject to variation	General Central Service, Group 'B',	Rs. 6500-200- 10500	Not applicable	Not applicable
That of high ear	dependent on work-	Gazetted, Non-			Algebra de Septembro Maria de Septembro
	load.	Ministerial	•	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	(四种)
7	181 201			一种的情况	Military Pro-
Not applicable		8		-9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable

Deputation or absorption

Deputation or absorption;

Officers under the Central Government or State Government or Union Territories:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - Bachelor's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.
 - Two years' experience in collection compilation, analysis and interpretation of statistical data.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

13

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

> [F.No. NEC/ADM/9/2003] RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 244. — संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनियर-(सिविल) भर्ती नियम, 1997, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, इंजीनियर अधिकारी (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2000 जहां तक वे सलाहकार (परिवहन और संचार) और सहायक इंजीनियर (सिविल), इंजीनियर अधिकारी (सिविल)/कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पदों के संबंध में है का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सिववालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन और संचार) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।
 - (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवन होंगे .

- लागू होना.—ये नियम, संलंग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि,—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वीकत अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
 - निसहंता.—जिसने
 - (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या
 - (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतर्पूव सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आबु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान प्रवरण पद या क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ गैर प्रवरण पद केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं भर्ती प्रणाली: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत यदि भर्ती, प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नित प्रितिनयुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/वैसा न सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा 12

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ प्रोन्नित :—

- 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो :
- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 16400—20000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
 - (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 14300—18300 के वेतनमान के पद या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;
 - (ii) पहाड़ी सड़कें बनाने के अनुभव सिहत कार्यों सिहत सिविल कार्यों को तैयार करने, कार्यान्वित करने और निर्माण करने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव
 - 2. चयन के लिए विभागेतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नित द्वारा भरा समझा जाएगा।
 - नोट 1: विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्तित के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
 - नोट 2: केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

किन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग यदि कोई विभागीय प्रोन्निः समिति है, तो उसकी संरचना क्या है से परामर्श किया जाएगा 13 पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल लागू नहीं करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा। रु. 14,300-400- लागू नहीं लागू नहीं सामान्य केन्द्रीय 01* (2005) 2. अधीक्षण सेवा, वर्ग 'क' 18,300 *कार्यभार के इंजीनियर राजपत्रित, आधार पर (सिविल)

गैर-अनुसचिवीय

पदों की संख्या में अंतर आ सकता है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ऐसा न हो सकने को स्थिति में प्रोन्निति द्वारा।

11

[भाग II—खण्ड 3(i)]

7

लागू नहीं

- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;
 - (ii) पहाड़ी सड़कों के निर्माण सिहत सिविल कार्य के कार्यान्वयन और निर्माण में बारह वर्ष का अनुभव।
 - 2. चयन के लिए विभागेतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में दंस वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नित द्वारा भरा समझा जाएगा।
 - नोट 1: विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्ति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
 - नोट 2: केन्द्र सरकार के उसी संगठन या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	13 71500		14		
लागू नहीं		पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथि करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होग			या ।शायरा खक होगा।
्राचकर विदे सर्वे	g yah walterini	STATE OF SALES			
	2	4	5	6	
1 - 2 3. कार्यपालक 03*(2005)	सामान्य केन्द्रीय	₹. 10,000-325-	प्रवरण	लागू नहीं	
_{रंजीनियर} *कार्यभार के	सेवा, वर्ग 'क'	15,200			-
(सिविल) आधार पर	राजपत्रित,			diament in	
पदों की संख्या में अंतर आ	गैर-अनुसचिवीय				
सकता है।		1 2 - 1 - F 1 ₁ L 2 A+			

7	8	9	10
लागू नहीं .	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्ततों के लिए दो वर्ष
		7	
11		12	1

33.33 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में अल्पकालिक अनु-बंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा और

66.67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा

A Property of the pool of wheels

प्रोनित

- (क) ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्रीधारी
- (ख) ग्रेड में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा सिहत सहायक इंजीनियर (सिविल) तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी।

नोट: जिन मामलों में अईता सेवा पूरी करने वाले किनष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नित पर भी विचार होगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अईक सेवा, निर्धारित योग्यता या अईता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो तथा उन्होंने अपने किनष्ठ अधिकारियों के उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नित के लिए परिवीक्षा अविध पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो—

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000—13500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुंक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या
 - (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हीं; और
- (জ) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;
 - (ii) पहाड़ी सड़कों के निर्माण सहित सिविल कार्य के कार्यान्वयन और निर्माण में पांच वर्ष का अनुभव
- नोट 1: विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्तित के लिए सीधी लाइन में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- नोट 2: केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- मोट 3 : केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

वर्ग 'कं' विभागांच प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार के लिए)

1. अध्यक्ष वा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

2. सिवच, पूर्वोच्चर परिषद् सिचवालय

3. उप सिचव वा निदेशक (प्रशा.), पूर्वोत्तर परिषद् सिचवालय

स

अध्यक्ष सदस्य सदस्य पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

14

(1)	(2)	(3)	(4)	7-1		
हायक इंजीनियर	02*(2005)	सामान्य केन्द्रीय		(5)	(6)	
(।सावल)	*कार्यभार के	सेवा, वर्ग 'ख',	₹. 6500-200- 10500	लागू नहीं	नहीं	
	पदों की संख्या	राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	W Mine of	Files of the Shares		
	आधार पर	राजपत्रित,		tell-off tells	161	

35 वर्ष

7

(केन्द सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य कोटि के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय।)

नोट 1: आयु निर्धारण की निर्णायक विधि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी परन्तु असम,मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लहाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, के लाहौल और स्पीति जिले! तथा चम्बा जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि अलग होगी।

नोट 2: रोजगार कार्यालयों के उम्मीदवारों की आयुं सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिश्चिष्ठ तिथि होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;

8

(i) सिविल इंजीनियरी कार्य में दो वर्ष का अनुभव नोट 1 : उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। नोट 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लुगता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्धे होने की संभवना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

लागू नहीं

सीधी भर्ती से नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों के लिए दो वर्ष

10

जाए।

11

12

सीधी भर्ती
नोट: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन
अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण दूर रहने से एक वर्ष या
इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र
सरकार के उन अधिकारियों द्वारा भरा जा सकता है जो:

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 - (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हों; या
- (ख) कालम 8 में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

लागू नहीं

13

14

वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए):

1. सविच, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

—अध्यक्ष

 उप सिवच या निदेशक (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सिचवालय

—सदस्य

 सलाहकार (परिवहन और संचार) या अधीक्षण इंजीनियर (सिविल,) पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

—सदस्य

पद भरने के लिए तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/24/2001]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Advisers (Group 'A') Recruitment Rules, 1997, and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 1997, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Engineer Officer (Civil) and Executive Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Adviser (Transport and Communication) and Assistant Engineer (Civil), Engineer Officer (Civil),/Executive Engineer (Civil) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Transport and Communication), Superintending Engineer (Civil), Executive Engineer (Civil) and Assisstant Engineer (Civil) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of Post, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Ex-servicemen other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or	Whether benefit of
				Non-selection	admissible under
			tong to live		Rule 30 of the Central Civil Service (Pension)
1		STAGE (NEEDS LIVE	Allegan TEL CALL		Rules 1972

1	2	3	4	5	6
2. Superintending Engineer (Civil)	01* (2005) *Subject to	General Central Service, Group 'A',	Rs. 14,300-400- 18,300	Not applicable	Not applicable
	variation dependent	variation Gazetted, Non-			
	on work- load.	onclus as post of the second	Marks te call	on assistante immalge di sognitami di considerati base militami di considerati	Carrie Bodretz Carren 1558; use, S
Oroug A Jr., C				officerous processes	de dentinación de
7		8	- Annual Control	9	10
Not applicable		Not applicable	The last	Not applicable	Not applicable
11		minos I galla por propries	12	and the property of the parties.	mandania.
Deputation (includ contract)/failing w			(including short t inder the Central	term contract)/pron Government or State	notion : e Governments or Union

Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations:—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 12000—16500 or equivalent in the parent cadre or Department; or
 - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000— 15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute or equivalent.
 - (ii) Twelve year's experience in execution or construction of civil works including hill roads.
- 2. The departmental Executive Engineer (Civil) with ten years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1:—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:—Period of deputation or contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13			novemers 14	1		
Not applicable	nabalas para an varastana anabas an	es to monatures la Lor man acon estes en cen ser a la garante de la con-	C	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of pos and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.		
1	2	bases 3 (a constant)	4	5 - 5	6	
3. Executive Engineer (Civil)	03*(2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Rs. 10,000-325- 15,200	Selection	Not applicable	
7		8		9	10	
Not applicable	3	Not applicable		Not applicable	Two years for promotees	

33.33 per cent by promotion failing which by deputation including short term contract; and 66.67 per cent deputation (including short-term contract)/absorption 12

Promotion:

(a) Assistant Engineer (Civil) with eight years' regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute or equivalent.

(b) Assistant Engineer (Civil) with eleven years' regular service in the grade and possessing three years' Diploma in Civil Engineering from a recognized University/Institute or equivalent.

Note:—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years' whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments/Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations;—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13,500 or equivalent in the parent cadre Department; or
 - (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute or equivalent.
 - (ii) Five years' experience in execution/construction of civil works including hill roads.

Note 1:—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:—Period of deputation or contract 'including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

Note 3:—Only officers belonging to Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption.

13 14

Group 'A' Departmental Promotion Committee Consultation with Union P Commission necessary for

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman

2. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member

Deputy Secretary or Director (Administration)
 North Eastern Council Secretariat

—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

1	2	3	Em.4 a van .	A REPORT	6	
1. Assistant Engineer (Civil)	02*(2005) *Subject to variation	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-	Rs. 6500-200- 10500	Not applicable	No	
	dependent on work- load.	Ministerial			year or sport may be the company of	
		, takin	miliograph tells by	mõure aloes a la	70 January	
7 .		8		silicon a 9 ° at ataot; m	Sizes 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
35 years.		Essential:	Maniana A.	Not applicable	Two years for	
(Realxable for Gove	rnment	(i) Bachelors Degree	in Civil		Direct Recruits	
servants upto the a	ge of	Engineering from a	recognised			
40 years in the case		University or equiva	alent.			
general candidates		(ii) Two years' exper	rience in civil			
upto 45 years in the		engineering work.				
of candidates belon		Note 1 : Qualifications are				
the Scheduled Cas		relaxable at the discretion of				
Scheduled Tribes in	1	the Union Public Se	ervice	Company to property	Ottomatelling on the	
accordance with the	e	Commission in case of		college nebeshies		
instructions or orde	ers	Candidates otherwi	se well	reserve March Testeus Council Accessories		
issued by the Centr	al	qualified.				
Government from time		Note 2 : The qualifie	cation			
to time).		regarding experience	e is	Mineld Chairman		
Note 1 : The crucial date for deter-		relaxable at the dis	cretion of			
mining the age limits	shall be the closing	the Union Public Se	rvice			
date for receipt of applications		Commission in case	of			
from candidates except for the closing date prescribed for those		candidates belonging to			31	
		Scheduled Castes of	r			
(in Assam, Meghalaya, Arunachal						
Pradesh, Mizoram, Manipur, .		stage of selection th	ne Union			
Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh		Public Service Com				
Division of Jammu and Kashmir		of the opinion that	sufficient	•		
State, Lahaul and Spiti District		number of candidates from				
and Pangi Sub-Division of		these communities possessing				
Chamba District of Himachal		the requisite posse	requisite possessing the			
Pradesh, the Union Territory of		requisite experience are not likely				
the Andaman and Nicobar		to be available to fill up the posts				
Island and the Union Territory		reserved for them.				
of Lakshadweep).				TO SECURE PERSONS (C.)		
Note 2: The crucial date for						
determining the age limit						
in the case of candidates						
from Employment Exchange			- AW SEE SER		Car May	
shall be the last date upto				FF & March St. Samuel		
which the Employment						
Exchange is asked	to .			- miles per . To be the		
submit the names.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
		THE RESERVE OF THE PARTY OF	SVIET OF REAL PROPERTY.			

Direct Recruitment:

Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration

Not applicable

11

of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Consultation with Union Public Service 13 Commission necessary for filling up of post Group 'B' Departmental Promotion Committee and for amendment or relaxation of any (For considering confirmation): provision of these Recruitment Rules. Chairman 1. Secretary, North Eastern Council Secretariat 2. Deputy Secretary or Director -Member (Administration), North Eastern Council Secretariat 3. Advisor (Transport and Communication) or Superintending Engineer (Civil), North -Member Eastern Council Secretariat

[F.No. NEC/ADM/24/2001] RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.